भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 38-एफ-1-39-2008-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद् गोटेगांव को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर पालिका परिषद् गोटेगांव अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

| 死. | जिला | तहसील | क्षेत्र का नाम | सम्मिलित क्षेत्र का विवरण |
|-----|-----------|----------|----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | नरसिंहपुर | गोटेगांव | नगर परिषद्, गोटेगांव | 1. नगर परिषद् गोटेगांव का संपूर्ण क्षेत्र |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया. उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 39-एफ-4-112-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत साली चौका को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् साली चौका (बाबई कला) अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

| क्र. | जिला | तहसील | क्षेत्र का नाम | सम्मिलित क्षेत्र का विवरण |
|------|-----------|----------|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | नरसिंहपुर | गाडरवारा | नगर परिषद्, साली चौका (बाबई कला) | ग्राम बाबईकला का संपूर्ण क्षेत्र ग्राम बाबईखुर्द का संपूर्ण क्षेत्र ग्राम केसला का संपूर्ण क्षेत्र ग्राम मोहपा का संपूर्ण क्षेत्र ग्राम सावरी का संपूर्ण क्षेत्र ग्राम खेरूआ का संपूर्ण क्षेत्र |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 40-एफ-4-109-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत कुरावर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् कुरावर अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

| | জিলা (2) | तहसील (3) | क्षेत्र का नाम (4) | सम्मिलित क्षेत्र का विव (5) | रण |
|---------|-------------|--------------|-----------------------|---|----|
| 1. | राजगढ़ | नरसिंहगढ़ | नगर परिषद्, कुरावर | ग्राम पंचायत कुरावर का सं ग्राम पंचायत लसूडल्या रामन | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.